दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 19-08-2025

राहत • अचानक हुए हमले से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने युवक की उम्रकैद की सजा रद्द कर हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया

नारे लगाते हुए पिता-दादी की हत्या, कहा- मानसिक विकृत, सही-गलत का ज्ञान नहीं था

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

बिलासपुर। हाई कोर्ट ने पिता और दादी की हत्या के आरोपी 25 वर्षीय युवक की दोषसिद्धि रद्द कर दी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा कि आरोपी मानसिक विकृति से पीड़ित था और अपराध के समय उसे अपने कृत्य के सही-गलत का ज्ञान नहीं था। दरअसल, यह मामला एक बेहद क्रूर और अचानक हुए हमले से जुड़ा है। युक्क ने अपने ही पिता और दादी पर हमला कर दिया था। घटना के वक्त वह बार-बार नारे लगा रहा था – "मैं हनुमानजी, बजरंगबली, दुर्गा हूं।"धमतरी में रहने वाली रेखा वर्मा ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, बताया कि 13 अप्रैल 2021 की रात करीब 9 बजे उनका परिवार खाना खाकर सोने चले गए। उनका बेटा अपने कमरे में सो रहा था। चूंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उसका कमरा बाहर से बंद था। रात लगभग 11 बजे बेटे ने उसे बुलाया और कहा कि वह पानी पीना चाहता है, हालांकि उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और अपने पति पन्नालाल वर्मा को बुलाया। जिन्होंने दरवाजा खोला, बेटा बाहर आया। पति ने उनके बेटे से पूछा कि वह हंगामा क्यों कर रहा है, तो उसने कहा कि \'मैं हनुमान जी, बजरंग बली, दुर्गा हूं\' और फिर अपने पिता को धक्का दे दिया। इसके बाद उसने अपने पिता और दादी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। इस दौरान वह अपने पड़ोसियों को बुलाने गई, लेकिन जब वापस आई तो घर का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर उनके पति और सास की लाश पड़ी थी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत केस दर्ज करते हुए आरोपी बेटे महेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया था। ट्रायल कोर्ट ने धारा 302 के तहत दो बार और 323 के तहत दोषी ठहराया और दो मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी।

कहा- मानसिक रोगी, इलाज चल रहा

हाई कोर्ट में अपील की तरफ से तर्क दिया गया कि कोविड-19 के दौरान छत से गिरने से उसे सिर में चोट लगी थी और वह मानसिक इलाज करवा रहा था। घटना के समय उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। इसलिए उसका मामला आईपीसी की धारा 84 या बीएनएस की धारा 22 पागलपन का बचाव के तहत आता है। वहीं, राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने मेडिकल रिकॉर्ड देखते हुए आरोपी को पागलपन का फायदा न देने का फैसला दिया था। यह उचित है।

हाई कोर्ट बोला- बगैर कारण हमला, यह मनोविकृति

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की डिवीजन बेंच ने फैसले में कहा है कि करीबी रिश्तेदारों पर अचानक, बिना किसी उकसावे के हमला और आरोपी का अनियंत्रित व्यवहार साफ दिखाता है कि वह मानसिक रोग की स्थिति में था। यह लक्षण मनोविकृति के हैं। वह लंबे समय से मानसिक रोगी था और उसका इलाज चल रहा था। जांच अधिकारी ने कभी उसका मेडिकल रिकॉर्ड अस्पताल से नहीं मंगवाया, न ही उसकी मानसिक स्थिति जानने मेडिकल बोर्ड गठित किया।